NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 11-03-2026

विषय सूची

प्राकृतिक गैस आवंटन हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का प्रवर्तन

भारत के प्रथम निष्क्रिय इच्छामृत्यु मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जीवन-रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति प्रदान

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के समर्थन को पुनः दोहराया

रक्षा बलों का विज़न 2047

संक्षिप्त समाचार

मुख्य चुनाव आयुक्त का पदच्युत किया जाना

जल जीवन मिशन 2.0

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)

भारत का कांच उद्योग

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (NIIF)

डार्क ऑक्सीजन

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

SIPRI रिपोर्ट: हथियार

कोयला गैसीकरण(Coal Gasification)

विशाखापट्टनम में प्रोटॉन त्वरक सुविधा

हलीम

राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI)

प्राकृतिक गैस आवंटन हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का प्रवर्तन

संदर्भ

- हाल ही में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होरमुज़ जलडमरूमध्य से एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान के बीच **प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026** अधिसूचित करते हुए **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** का प्रवर्तन किया।

प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के मुख्य बिंदु

- **चार-स्तरीय प्राथमिकता प्रणाली की स्थापना:** गैस आवंटन हेतु विगत छह माह की औसत खपत के आधार पर।
- **गैस का पुनर्वितरण:** निम्न-प्राथमिकता वाले उपभोक्ता जैसे पेट्रोकेमिकल्स एवं विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति में कटौती कर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समर्थन।
- **पूल्ड तंत्र:** पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों से प्राथमिकता क्षेत्रों में स्थानांतरित गैस के लिए पूल्ड मूल्य अधिसूचित करेगा, जिससे कमी के समय मानकीकृत मूल्य सुनिश्चित हों।
  - प्राथमिकता क्षेत्र की इकाइयों को इन पूल्ड मूल्यों को स्वीकार करना होगा तथा फोर्स मेज्योर अथवा आपूर्ति समायोजन पर मुकदमेबाज़ी के अधिकार त्यागने होंगे।

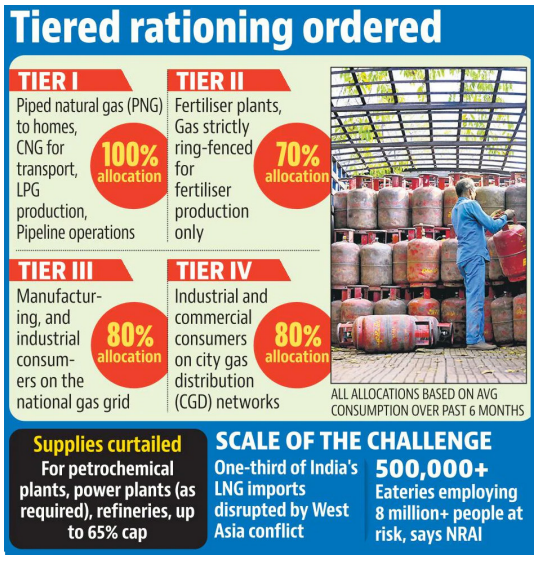

गैस राशनिंग के कारण

- **एलएनजी आयात में व्यवधान:** होरमुज़ जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा पारगमन मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ता है। क्षेत्रीय संघर्ष के कारण एलएनजी आपूर्ति बाधित हुई है।
  - भारत के एलएनजी आयात का लगभग **एक-तिहाई प्रभावित** हुआ है।
- **आयातित प्राकृतिक गैस पर भारत की निर्भरता:** घरेलू उत्पादन सीमित होने के बावजूद भारत की प्राकृतिक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है।
- **प्रमुख आँकड़े:**
  - कुल गैस खपत (2024–25): **71.3 अरब घन मीटर (BCM)**
  - आयात निर्भरता: लगभग **50%**
  - प्रमुख एलएनजी आपूर्तिकर्ता: **क़तर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया**
- उच्च आयात निर्भरता अर्थव्यवस्था को भू-राजनीतिक आघातों और मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के बारे में

- इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित करना है ताकि उनकी उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित हो सके तथा कमी या आपातकालीन स्थिति में जमाखोरी, काला बाज़ारी एवं मुनाफाखोरी रोकी जा सके।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार (और कुछ मामलों में राज्य सरकारों) को उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने हेतु बाज़ार में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।

अधिनियम के अंतर्गत वस्तुएँ

- केंद्र सरकार कुछ वस्तुओं को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर सकती है।
- सामान्य उदाहरण: खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, दालें); खाद्य तेल, चीनी, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, औषधियाँ, एलपीजी और प्राकृतिक गैस।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सरकार वस्तुओं को सूची में जोड़ या हटा सकती है।

2020 में प्रमुख परिवर्तन (कोविड-19 के दौरान)

- **आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020**
  - **कृषि बाज़ारों के उदारीकरण हेतु प्रमुख सुधारों का परिचय:** इस अधिनियम का उद्देश्य भंडारण, कोल्ड चेन और आपूर्ति अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- **कई कृषि वस्तुओं को सूची से हटाना:** कुछ वस्तुओं को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विनियमन से मुक्त किया गया।
  - इसमें अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज़ और आलू शामिल हैं।
- **स्टॉक सीमा केवल असाधारण परिस्थितियों में:** सरकार केवल युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ही स्टॉक सीमा लागू कर सकती है।
- **मूल्य वृद्धि पर आधारित स्टॉक सीमा:**
  - बागवानी उत्पादों की कीमत में **100% वृद्धि** होने पर
  - गैर-नाशवान खाद्य वस्तुओं की कीमत में **50% वृद्धि** होने पर
- **मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों हेतु छूट:** यदि भंडार उनके उत्पादन या निर्यात आवश्यकताओं के अनुरूप है तो प्रोसेसर या निर्यातकों पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी।

स्रोत: News On AIR

भारत के प्रथम निष्क्रिय इच्छामृत्यु मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जीवन-रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति प्रदान

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम निष्क्रिय इच्छामृत्यु के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करते हुए 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए **क्लिनिकली-असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन (CANH)** हटाने की अनुमति प्रदान की।

परिचय

- न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि:
  - जीवन रक्षक उपकरणों को हटाना रोगी के "सर्वोत्तम हित" में होना चाहिए।
  - मार्गदर्शक कारकों में यह शामिल है कि रोगी को दी जा रही जीवन रक्षक सहायता क्या वास्तव में चिकित्सीय उपचार की श्रेणी में आती है;
  - क्या दवाओं का कोई चिकित्सीय लाभ है या वे केवल जीवन, पीड़ा और कष्ट को लंबा करने का कार्य करती हैं;
  - और क्या रोगी के हित में कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना उचित होगा।
- न्यायालय ने कहा कि रोगी की देखभाल संवेदनशीलता के साथ की जानी चाहिए और उसकी गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए।
- यह निर्णय स्पष्ट रूप से यह सीमा निर्धारित करता है कि कब प्राकृतिक मृत्यु को होने दिया जाए।
- पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि देश में जीवन-समाप्ति देखभाल (End-of-Life Care) पर कोई व्यापक कानून नहीं है और केंद्र सरकार से इस संबंध में विधेयक लाने का आग्रह किया।

इच्छामृत्यु (Euthanasia)

- इच्छामृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना ताकि उसके दर्द या कष्ट को दूर किया जा सके।
  - नैतिकताविद सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु में अंतर करते हैं।
- **निष्क्रिय इच्छामृत्यु:** इसमें जानबूझकर चिकित्सीय हस्तक्षेप, जैसे जीवन रक्षक उपकरण, को रोकने या हटाने का निर्णय लिया जाता है ताकि व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो सके।
  - **सक्रिय इच्छामृत्यु:** इसमें डॉक्टर द्वारा स्वेच्छा से अनुरोध करने वाले असाध्य रोगी को सीधे हस्तक्षेप कर मृत्यु देना शामिल है। यह भारत में अवैध है।

विधिक स्थिति

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध किया था, बशर्ते व्यक्ति के पास "लिविंग विल" हो।

- न्यायालय ने माना कि **'गरिमा के साथ मरने का अधिकार'** संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
- **लिविंग विल:** यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसमें व्यक्ति यह निर्दिष्ट करता है कि भविष्य में यदि वह स्वयं चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए तो उसके लिए कौन-से कदम उठाए जाएँ।

सहायक मृत्यु (Assisted Dying) के पक्ष में तर्क

- **स्वायत्तता और विकल्प:** व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें लंबे समय तक कष्ट से बचने हेतु जीवन समाप्त करने का विकल्प भी शामिल है।
  - **कष्ट से मुक्ति:** असाध्य रोगों या असहनीय दर्द से पीड़ित लोगों को गरिमा के साथ मृत्यु का करुणामय विकल्प मिलता है।
  - **व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान:** लोगों को अपने शरीर और जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें मानवीय और नियंत्रित तरीके से जीवन समाप्त करने का निर्णय भी शामिल है।

सहायक मृत्यु के विरुद्ध तर्क

- **नैतिक और धार्मिक चिंताएँ:** कई लोग मानते हैं कि जीवन लेना, भले ही व्यक्ति के अनुरोध पर हो, नैतिक रूप से गलत है और जीवन की पवित्रता के विरुद्ध है।
- **दुरुपयोग का जोखिम:** मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे या पारिवारिक दबाव का सामना कर रहे कमजोर व्यक्तियों को सहायक मृत्यु चुनने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
- **चिकित्सकीय नैतिकता:** स्वास्थ्यकर्मी जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, और सहायक मृत्यु उनकी मूल भूमिका से टकरा सकती है।
- **वैकल्पिक समाधान:** तर्क दिया जाता है कि उपशामक देखभाल (Palliative Care) और दर्द प्रबंधन पर्याप्त राहत दे सकते हैं, जिससे सहायक मृत्यु की आवश्यकता नहीं रहती।

आगे की राह

- **उपशामक देखभाल का विस्तार:** उच्च गुणवत्ता वाली उपशामक देखभाल तक पहुँच बढ़ाना ताकि कष्ट कम हो और सहायक मृत्यु की मांग घटे।
- **सार्वजनिक विमर्श:** सहायक मृत्यु के नैतिक, विधिक और धार्मिक पहलुओं पर निरंतर चर्चा, जिससे दिशा-निर्देश तैयार करने में सहायता मिले।
- **अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** वे देश जहाँ सहायक मृत्यु वैध है (जैसे नीदरलैंड, कनाडा), उनके अनुभवों से प्रभावी विनियमन और सुरक्षा उपायों पर मार्गदर्शन लिया जा सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य सहयोग:** मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उपलब्ध कराना ताकि दबाव या आवेगपूर्ण निर्णयों को रोका जा सके तथा सुनिश्चित किया जा सके कि सहमति सूचित और स्वतंत्र रूप से दी गई है।

स्रोत: DD

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के समर्थन को पुनः दोहराया

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के समर्थन को पुनः दोहराते हुए यह टिप्पणी की कि एक समान नागरिक विधिक ढाँचा विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न जटिलताओं को दूर करने में सहायक होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- न्यायालय के समक्ष याचिका में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) अधिनियम, 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई है, यह तर्क देते हुए कि यह मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध उत्तराधिकार जैसे मामलों में भेदभाव करता है।
- न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत कानून की धाराओं को निरस्त करने से उत्तराधिकार नियमों में विधिक शून्यता उत्पन्न हो सकती है।
  - न्यायालय ने बल दिया कि समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों में समानता सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्ट और व्यापक समाधान प्रदान करेगी, जिसके लिए केवल न्यायिक निर्णय नहीं बल्कि विधायी कार्रवाई आवश्यक है।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

- समान नागरिक संहिता का अर्थ है पूरे देश के लिए एक समान कानून, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि में लागू हो।
- **उद्देश्य:** विभिन्न धार्मिक समुदायों पर आधारित विविध व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य "भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।"
- भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व सम्मिलित हैं, जो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु शासन के लिए मौलिक माने जाते हैं।

भारत में समान नागरिक संहिता

- **गोवा में UCC:** यहाँ पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 लागू है, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों के लोग विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में समान कानूनों के अधीन हैं।
  - **गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962:** गोवा के 1961 में भारत में सम्मिलित होने के बाद इस अधिनियम द्वारा सिविल कोड लागू रखने की अनुमति दी गई।
- **उत्तराखंड में UCC (2024):** उत्तराखंड विधानसभा ने 2024 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 पारित किया, जिससे स्वतंत्रता के बाद UCC अपनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना।

UCC के पक्ष में तर्क

- **शासन में एकरूपता:** समान कानूनों से शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल होंगी, जिससे न्याय वितरण एवं नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करना आसान होगा।
- **महिलाओं के अधिकार:** विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रावधान हैं; समान संहिता अधिक समानतावादी विधिक ढाँचा प्रदान करेगी।
- **धर्मनिरपेक्षता:** समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को उनके धार्मिक संबंधों से परे समान रूप से व्यवहार कर देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना को सुदृढ़ करेगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में, जिनमें मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) भी शामिल है, UCC के कार्यान्वयन का आह्वान किया है।
- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा:** UCC का कार्यान्वयन विविध समुदायों के लिए साझा मंच स्थापित कर भारत के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा।

UCC के विरुद्ध तर्क

- **कार्यान्वयन की कठिनाई:** भारत विविध धार्मिक समुदायों वाला देश है, जिनके अपने व्यक्तिगत कानून हैं, जिससे संहिता लागू करना कठिन है।
  - यह तर्क दिया गया है कि जनजातीय समुदायों द्वारा पालन किए जाने वाले विवाह और मृत्यु संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से भिन्न हैं, तथा आशंका है कि इन प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लग सकता है।
- **कानून-व्यवस्था की चुनौती:** इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार माना जा सकता है और लागू होने पर देश में अशांति उत्पन्न हो सकती है।
- **संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध:** UCC को अनुच्छेद 25 और 26 तथा संविधान की छठी अनुसूची में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।

आगे की राह

- **व्यापक सामाजिक सहमति का निर्माण:** सरकार को धार्मिक नेताओं, विधि विशेषज्ञों, नागरिक समाज समूहों और अल्पसंख्यक समुदायों से व्यापक परामर्श करना चाहिए ताकि ढाँचा भारत की बहुलतावादी प्रकृति को प्रतिबिंबित करे तथा आशंकाएँ कम हों।
- **लैंगिक न्याय पर ध्यान:** प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाना होना चाहिए, विशेषकर विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को।

स्रोत: IE

रक्षा बलों का विज़न 2047

संदर्भ

- रक्षा मंत्री ने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा तैयार दस्तावेज़ **"रक्षा बलों का विज़न 2047: भविष्य-उन्मुख भारतीय सैन्य के लिए रोडमैप"** जारी किया।

रक्षा बलों का विज़न 2047 के उद्देश्य

- **भविष्य युद्ध की तैयारी:** दृष्टि में बहु-क्षेत्रीय युद्ध (साइबर, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना युद्ध) के लिए सैन्य तैयारी पर बल दिया गया है।
- **राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य:** रक्षा क्षमताओं का रूपांतरण भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के व्यापक लक्ष्य से जोड़ा गया है।

रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ

- **एकीकृत एवं बहु-क्षेत्रीय सैन्य:** भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम एकीकृत एवं चुस्त सैन्य संरचना विकसित करने का प्रस्ताव।
  - तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त परिचालन योजना को सुदृढ़ कर दक्षता और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार।
- **सेवाओं के बीच अधिक संयुक्तता:** सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता एवं सामंजस्य को एक प्रमुख स्तंभ माना गया है।
  - योजना, संचालन और क्षमता विकास में बेहतर समन्वय से परिचालन दक्षता में वृद्धि की अपेक्षा।
- **रक्षा में आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना:** रोडमैप रक्षा निर्माण में सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है।
- **प्रौद्योगिकीगत प्रगति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त प्रणालियाँ, साइबर क्षमताएँ और उन्नत निगरानी उपकरण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के अधिक उपयोग का प्रस्ताव।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** रोडमैप में अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं की पहचान कर सैन्य क्षमताओं के निर्माण हेतु चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

भारत द्वारा हाल में उठाए गए कदम

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों का विभाग (DMA) का गठन:** CDS की नियुक्ति का उद्देश्य संचालन, खरीद और प्रशिक्षण में संयुक्तता को बढ़ावा देना है।
  - DMA रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया है और इसका नेतृत्व CDS करते हैं।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** यह स्वदेशी डिज़ाइन, विकास एवं निर्माण को बढ़ावा देती है और "मेक इन इंडिया" श्रेणियों को प्राथमिकता देती है।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे एवं स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन:** तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं ताकि रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले।
- **एकीकृत थिएटर कमांड (ITCs):** कमांड संरचना का पुनर्गठन ताकि किसी क्षेत्र में सेना, नौसेना और वायुसेना एकीकृत कमान के अंतर्गत कार्य करें।
  - यह "संयुक्तता" एजेंडा का हिस्सा है ताकि दोहराव से बचा जा सके और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार हो।

चुनौतियाँ

- **सीमित रक्षा बजट:** हाल के वर्षों में रक्षा व्यय GDP का लगभग 2–2.5% रहा है, जिससे आधुनिकीकरण पर बजटीय सीमाएँ लागू होती हैं।
- **प्रौद्योगिकी में कमजोर एकीकरण:** संचार प्रणालियों, खुफिया नेटवर्क और डिजिटल युद्धक्षेत्र प्रौद्योगिकियों का एकीकरण अभी भी सीमित है।

निष्कर्ष

- **सशस्त्र सेनाओं की दृष्टि 2047** भारत की सैन्य संरचना को भविष्य के युद्धों के लिए पुनर्गठित करने का एक प्रमुख प्रयास है, जो बहु-क्षेत्रीय संचालन, उभरती प्रौद्योगिकियों और जटिल भू-राजनीतिक खतरों से युक्त होगा।
- हालाँकि, इस रोडमैप की सफलता संस्थागत प्रतिरोध, क्षमता अंतराल और संसाधन सीमाओं को दूर करने पर निर्भर करेगी। साथ ही संयुक्तता, प्रौद्योगिकी नवाचार एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ कर 2047 तक भविष्य-उन्मुख सशस्त्र सेनाओं का निर्माण करना आवश्यक होगा।

स्रोत: DD NEWS

संक्षिप्त समाचार

मुख्य चुनाव आयुक्त का पदच्युत किया जाना

संदर्भ

- विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

संविधान का अनुच्छेद 324

- संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और उतने संख्या में चुनाव आयुक्त (ECs) होंगे, जितने राष्ट्रपति तय करेंगे।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है।
- संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, संसद के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, CEC और ECs की नियुक्ति करेंगे।

CEC को हटाने के संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
- CEC को पदच्युत करने हेतु प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें हटाने के आधार स्पष्ट रूप से उल्लेखित होने चाहिए।
- प्रस्ताव का समर्थन आवश्यक है:
  - लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, या
  - राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य।
- प्रस्ताव स्वीकार होने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति आरोपों की जाँच हेतु एक जाँच समिति गठित करते हैं।
  - यदि समिति आरोपों को सिद्ध पाती है, तो प्रस्ताव संसद में मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
- दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।
  - दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का अंतिम आदेश जारी करते हैं।

स्रोत: द हिंदू (TH)

जल जीवन मिशन 2.0

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में

- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **नोडल मंत्रालय:** पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत।
- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का पुनर्गठन कर उसे JJM में सम्मिलित किया गया।
- **उद्देश्य:** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराना, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो।
  - सभी ग्राम पंचायतों को "हर घर जल" प्रमाणित करना भी इसका लक्ष्य है।
- **कवरेज और विस्तार:**
  - अगस्त 2019 में इसे 2024 तक 100% ग्रामीण नल जल कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
  - कार्यक्रम ने लगभग 81% कवरेज हासिल किया, जिसके चलते इसे 2028 तक JJM 2.0 के अंतर्गत बढ़ाया गया।
- **डिजिटल निगरानी ढाँचा:** "सुजलाम भारत" नामक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया जाएगा, जो स्रोत से नल तक पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगा।
  - प्रत्येक गाँव को एक विशिष्ट "सुजल गाँव/सेवा क्षेत्र आईडी" प्रदान की जाएगी।
- **प्रगति:** ग्रामीण भारत में नल जल की पहुँच तेजी से बढ़ी है, जो 3.23 करोड़ परिवारों (16.7%) से बढ़कर अब अतिरिक्त 12.48 करोड़ परिवारों तक पहुँच गई है।

- **वित्त पोषण पैटर्न:**
  - हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10
  - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%
  - अन्य राज्यों के लिए 50:50

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शोधानुसार JJM ने 9 करोड़ महिलाओं को प्रतिदिन जल लाने के भार से मुक्त किया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, महिलाओं की मेहनत में प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत, 4 लाख दस्त संबंधी मृत्युओं की रोकथाम और 1.4 करोड़ डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स (DALYs) की बचत हुई है।
- आईआईएम बैंगलोर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, JJM ने 59.9 लाख प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष व्यक्ति-वर्ष का संभावित रोजगार सृजन किया है, जिससे ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ किया गया है।

स्रोत: द हिंदू (TH)

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचार में

- नई दिल्ली के आर.के. पुरम में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) का नया कार्यालय उद्घाटित किया गया।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) के बारे में

- NDSA एक वैधानिक निकाय है, जिसे बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है।
- यह भारत में बांध सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का नियामक निकाय है।

प्रमुख डिजिटल पहल

- **NETRA (AI का उपयोग करके ट्रैकिंग और समीक्षा के लिए NDSA इंजन):** यह DHARMA बांध सुरक्षा डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण (RBSD):** इसे उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) द्वारा बांध टूटने के विश्लेषण (DBA) के दृश्यांकन हेतु विकसित किया गया है।

स्रोत: PIB

भारत का कांच उद्योग

संदर्भ

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण एलएनजी आपूर्ति में अनिश्चितताओं के चलते सरकार औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति कम करने की योजना बना रही है, जिससे भारत का कांच निर्माण उद्योग परिचालन चुनौतियों का सामना कर रहा है।

कांच उद्योग की ऊर्जा निर्भरता

- कांच निर्माण संयंत्र मुख्यतः पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) पर निर्भर रहते हैं।
- निर्माण प्रक्रिया में निरंतर उच्च तापमान संचालन आवश्यक होता है, जिसके लिए ईंधन की अविरल आपूर्ति अनिवार्य है।

भारत का कांच उद्योग

- भारत का प्रथम आधुनिक कांच कारखाना पैसा फंड ग्लास वर्क्स 1908 में महाराष्ट्र के तालेगाँव में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किया गया।
- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश को "भारत का कांच नगरी" कहा जाता है। यह 17वीं शताब्दी से कांच उत्पादन का केंद्र रहा है और विश्व का सबसे बड़ा कांच की चूड़ियों का उत्पादक है।
  - अन्य प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- **उद्योग का विभाजन:**
  - **कंटेनर ग्लास:** बोतलें, जार, पेय पदार्थ कंटेनर।
  - **फ्लैट ग्लास:** निर्माण, ऑटोमोबाइल विंडशील्ड और दर्पणों में उपयोग।

- **विशेष कांच:** ऑप्टिकल ग्लास, प्रयोगशाला उपकरण, औषधीय कांच।
- **फाइबरग्लास:** इन्सुलेशन, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग।

- **बाज़ार आकार एवं वृद्धि:**
- 2024 में भारतीय कांच निर्माण बाज़ार का मूल्य लगभग 1.81 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- 2030 तक इसके लगभग 2.81 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, लगभग 7.7% CAGR की दर से।

स्रोत: IE

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (NIIF)

समाचार में

- राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (NIIF) ने अपने दूसरे निजी बाज़ार कोष (PMF-II) के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित किए।

राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (NIIF) के बारे में

- NIIF की स्थापना 2015 में भारत के सार्वभौमिक संपत्ति निधि (सॉवरेन वेल्थ फंड) के रूप में की गई।
- यह राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लिमिटेड (NIIFL) द्वारा प्रबंधित एक सहयोगात्मक मंच है, जिसका उद्देश्य अवसंरचना और संबंधित क्षेत्रों में इक्विटी निवेश आकर्षित करना है।
- इसमें सरकार की हिस्सेदारी 49% है और शेष 51% वैश्विक संस्थागत निवेशकों से आती है।

स्रोत: ET

डार्क ऑक्सीजन

समाचार में

- एक नए अध्ययन में प्रशांत महासागर के समुद्री तल पर "डार्क ऑक्सीजन" की खोज की गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ऑक्सीजन बिना सूर्य प्रकाश के भी उत्पन्न हो सकती है।

डार्क ऑक्सीजन

- शोधकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग उन गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाई गई ऑक्सीजन का वर्णन करने हेतु किया जा रहा है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पूरी तरह अनुपस्थित होता है।
- परंपरागत रूप से ऑक्सीजन उत्पादन प्रकाश ऊर्जा पर आधारित प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा रहा है।

नवीनतम शोध

- प्रशांत महासागर के क्लैरियन क्लिपरटन क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल की ऑक्सीजन की निगरानी हेतु बेंथिक चेंबर का उपयोग किया।
- आश्चर्यजनक रूप से, पूर्ण अंधकार में भी ऑक्सीजन स्तर बढ़ा, जबकि सामान्यतः सूक्ष्मजीव और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ इसे उपभोग करती हैं।
- बार-बार किए गए मापन और प्रयोगशाला परीक्षणों से संकेत मिलता है कि बहुधात्विक नोड्यूल्स विद्युत-रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं।

महत्व

- डार्क ऑक्सीजन की खोज वैश्विक ऑक्सीजन चक्र की समझ को पुनः परिभाषित कर सकती है और यह संकेत देती है कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के बिना भी चरम परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है।

बहुधात्विक नोड्यूल्स

- ये चट्टान जैसी संरचनाएँ हैं जो समुद्री तल पर लाखों वर्षों में बनती हैं।
- इनमें बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोगी धातुएँ होती हैं।
- इन पर गहरे समुद्र में खनन की संभावना भी विचाराधीन है क्योंकि ये मूल्यवान हैं।
- ये सामान्यतः प्रशांत महासागर के एबिसल मैदानों में पाए जाते हैं।

स्रोत: TOI

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

संदर्भ

- नासा ने पुष्टि की है कि क्षुद्रग्रह 2024 YR4 वर्ष 2032 में चंद्रमा से टकराने का कोई जोखिम नहीं रखता, यह निष्कर्ष जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त अवलोकनों पर आधारित है।

- 2024 YR4 को निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह (NEA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के निकट आती है।

परिचय

- क्षुद्रग्रह, जिन्हें कभी-कभी लघु ग्रह भी कहा जाता है, हमारे सौरमंडल के लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व के निर्माण से शेष बचे चट्टानी, वायुरहित अवशेष हैं।
- अधिकांश क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी में करते हैं।

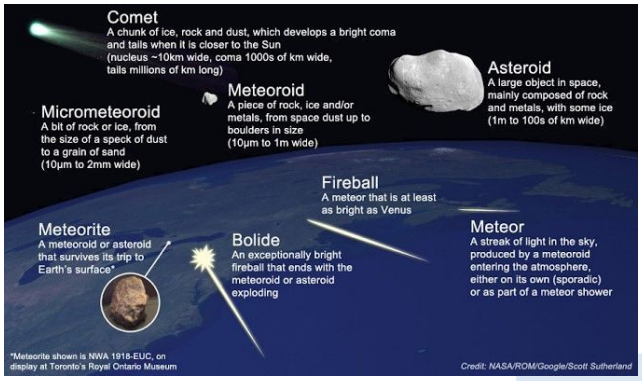

स्रोत: TH

SIPRI रिपोर्ट: हथियार

संदर्भ

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने हाल ही में हथियार स्थानांतरण डेटाबेस (1950–2025) को अद्यतन किया।

प्रमुख निष्कर्ष

- 2021–25 में प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की मात्रा 2016–20 की तुलना में 9.2% अधिक रही। यह 2011–15 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि है।
- 2021–25 में प्रमुख हथियारों के पाँच सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन।
- शीर्ष पाँच आयातक: यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, क़तर और पाकिस्तान, जिन्होंने वैश्विक आयात का 35% हिस्सा लिया।
- यूरोप ने वैश्विक हथियार आयात का 33% हिस्सा लिया, इसके बाद एशिया और ओशिनिया 31% तथा पश्चिम एशिया 26% पर रहे।
- अमेरिका के हथियार निर्यात 2016–20 और 2021–25 के बीच 27% बढ़े, जिससे उसका वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सा 42% हो गया।
- भारत ने 2021–25 के बीच वैश्विक हथियार आयात का 8.2% हिस्सा लिया, जिससे वह दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना।
  - भारत के हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सा रूस (40%) से आया, जो 2016–20 (51%) और 2011–15 (70%) की तुलना में काफी कम है।
  - भारत अब तेजी से पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं जैसे फ्रांस, इज़राइल और अमेरिका की ओर प्रवृत्ति कर रहा है।

SIPRI के बारे में

- SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, शस्त्र, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध हेतु समर्पित है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है।
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और आम जनता को खुले स्रोतों पर आधारित आँकड़े, विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।
- **वित्त पोषण:** इसकी स्थापना स्वीडिश संसद के निर्णय पर हुई थी और इसे स्वीडिश सरकार से वार्षिक अनुदान के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
- संस्थान अपने अनुसंधान कार्यों को पूरा करने हेतु अन्य संगठनों से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त करता है।

स्रोत: SIPRI

कोयला गैसीकरण(Coal Gasification)

संदर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) परियोजनाओं के लिए न्यूनतम गहराई से छूट देने से मना कर दिया है।

कोयला गैसीकरण क्या है?

- कोयला गैसीकरण कोयले को सिंथेटिक गैस (Syngas) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO□ शामिल होते हैं।
- यह सिंथेटिक गैस मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG), अमोनियम नाइट्रेट, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त हो सकती है।

भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG)

- UCG एक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को पारंपरिक खनन के बजाय भूमिगत ही ज्वलनशील गैस (Syngas) में परिवर्तित किया जाता है।

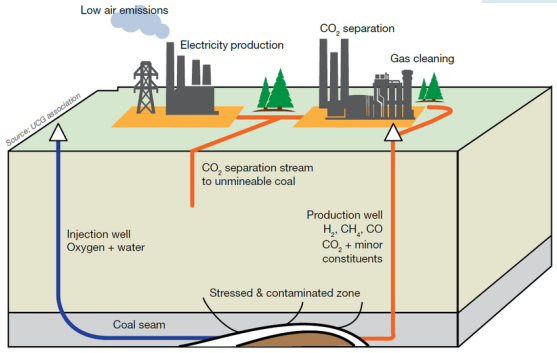

- यह भारत के गहरे कोयला भंडारों का उपयोग करने की एक रणनीतिक पहल है, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से खनन करना संभव नहीं है।
- यह नवाचार आयातित प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ निवेश के नए अवसर खोलने की अपेक्षा करता है।

कोयला गैसीकरण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना

- यह योजना 2024 में शुरू की गई थी, जिसकी कुल राशि ₹8,500 करोड़ है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना है, जिससे भारत के प्रचुर घरेलू कोयला भंडार का उपयोग कर सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- यह योजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को देशभर में कोयला गैसीकरण परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

स्रोत: HT

विशाखापट्टनम में प्रोटॉन त्वरक सुविधा

समाचार में

- आंध्र प्रदेश, भारत के दीर्घकालिक परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत विशाखापट्टनम में उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक (Proton Accelerator) की मेजबानी करेगा।
  - प्रोटॉन एक उपपरमाण्विक कण है, जिसमें धनात्मक विद्युत आवेश होता है। यह प्रत्येक तत्व के परमाणु नाभिक में पाया जाता है।

परियोजना के बारे में

- विशाखापट्टनम में उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने हेतु उच्च-ऊर्जा न्यूट्रॉनों का उत्पादन करेगा।
- इस सुविधा को विशाखापट्टनम के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और शीतलन हेतु समुद्री पहुँच का लाभ मिलेगा।
- यह परियोजना राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (RRCAT) से जुड़ी हुई है।

महत्व

- प्रोटॉन त्वरक भारत के दीर्घकालिक परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है।
- यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, जिसे पूर्ण रूप से परिचालित होने में दशकों लग सकते हैं।
- यह स्पैलेशन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उच्च-ऊर्जा न्यूट्रॉनों का उत्पादन करेगा, जिससे भारत के प्रचुर थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित किया जा सकेगा।

राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (RRCAT)

- इसकी स्थापना 1984 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत की गई थी।

- यह कण त्वरक और लेज़र प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का नेतृत्व करता है, जिनका उपयोग अंतरिक्ष, रक्षा, संचार एवं चिकित्सा विज्ञान में होता है।
- यह राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएँ भी संचालित करता है, जहाँ उद्योग, अस्पताल और संस्थान प्रयोग करते हैं।

स्रोत: TH

हलीम

संदर्भ

- वाणिज्यिक LPG की कमी के बीच आशंका है कि हैदराबाद में रमज़ान के मेन्यू से हलीम हट सकता है।

हलीम के बारे में

- हलीम हैदराबाद में रमज़ान के इस्लामी पवित्र महीने के दौरान परोसा जाने वाला GI-टैग प्राप्त मौसमी व्यंजन है, जिसे कई रेस्तरां श्रृंखलाओं द्वारा पूरे देश में भेजा जाता है।
- इसे लकड़ी से जलने वाले ओवन — जिन्हें 'भट्टी' कहा जाता है — पर लगभग 12 घंटे तक पकाया जाता है।
- गेहूँ, मांस और मसाले शाम तक गाढ़े मिश्रण में बदल जाते हैं और यह इफ्तार में रोज़ा खोलने के खाद्य पदार्थों का हिस्सा होता है।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI)

संदर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसरो के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (NH-GCI) 2025–26 पर प्रथम बार वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

परिचय

- इस आकलन में उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह सेंसर का उपयोग कर क्लोरोफिल सामग्री का पता लगाया जाता है, जिससे राजमार्गों के किनारे वनस्पति का वस्तुनिष्ठ और प्रौद्योगिकी-आधारित मापन संभव होता है।
- NH-GCI का मान प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के राइट ऑफ वे (RoW) क्षेत्र में हरित आवरण से आच्छादित भूमि के अनुपात को दर्शाता है।
- यह सूचकांक राजमार्गों के दोनों ओर की वनस्पति को एक किलोमीटर की सूक्ष्मता पर मापता है।
- जुलाई–दिसंबर 2024 की अवधि के लिए लगभग 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो 24 राज्यों में फैले हैं, को शामिल किया गया है।

स्रोत: PIB

■■■■